



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092022-239133  
CG-DL-E-26092022-239133

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647]  
No. 647]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2022/आश्विन 4, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022/ ASVINA 4, 1944

संचार मंत्रालय  
(दूर संचार विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2022

**सा.का.नि. 728(अ).**—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या में छेड़छाड़ का रोका जाना नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या हस्तक्षेप निवारण (संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) नियम 4(1) 1 जनवरी, 2023 से और नियम 4(2) राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या में छेड़छाड़ का रोका जाना नियम, 2017 में नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“4. अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान संख्या का रजिस्ट्रीकरण—**(1) विनिर्माता, भारत में विनिर्मित प्रत्येक मोबाइल फोन की अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान संख्या को भारत सरकार, दूरसंचार विभाग के भारतीय कूटकृति युक्ति निर्बंधन पोर्टल (<https://icdr.ceir.gov.in>) पर मोबाइल फोन की प्रथम बिक्री से पूर्व रजिस्टर करेगा।

(2) भारत में विक्रय, परीक्षण, अनुसंधान या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आयात किए गए मोबाइल फोन की अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान संख्या को आयातक द्वारा भारत सरकार, दूरसंचार विभाग के भारतीय कूटकृति युक्ति निर्बंधन पोर्टल (<https://icdr.ceir.gov.in>) पर देश में मोबाइल फोन के आयात से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।”

[फा.सं. 13-15/2021-यूडीएस]

पी.के. सिंह, उप महानिदेशक (सुरक्षा आश्वासन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1068(अ), तारीख 25 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**  
**(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2022

**G.S.R. 728(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules to amend the prevention of tampering of the Mobile Device Equipment Identification Number, Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the prevention of tampering of the Mobile Device Equipment Identification Number (Amendment) Rules, 2022.

(2) The rule 4 (1) shall come into force with effect from January 1, 2023 and the rule 4 (2) shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. In the prevention of tampering of the Mobile Device Equipment Identification Number, Rules, 2017, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-

**“4. Registration of International Mobile Equipment Identity number.-** (1) The manufacturer shall register the international mobile equipment identity number of every mobile phone manufactured in India with the Indian Counterfeited Device Restriction portal (<https://icdr.ceir.gov.in>) of the Government of India in the Department of Telecommunications prior to the first sale of the mobile phone.

(2) The international mobile equipment identity number of the mobile phone imported in India for sale, testing, research or any other purpose shall be registered by the importer with the Indian Counterfeited Device Restriction portal (<https://icdr.ceir.gov.in>) of the Government of India in the Department of Telecommunications prior to import of mobile phone into the country.”

[F. No. 13-15/2021-UDS]

P. K. SINGH, Dy. Director General (Security Assurance)

**Note :** The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 1068(E), dated the 25<sup>th</sup> August, 2017.